हरियाणा विधान सभा

पंद्रहवी विधान सभा

अक्टूबर-नवम्बर सत्र 2024

कार्य सूची

18 नवम्बर 2024

14:00:00

1. <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं।</u>

(1)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-3 जिसकी सूचना श्री अदित्य देवीलाल, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	राज्य के किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.) तथा यूरिया की समय से आपूर्ति न होने से सम्बंधित।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9 श्री आफताब अहमद,एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-11 श्री जस्सी पेटवाड़, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-16 श्री शीशपाल केहरवाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

(2)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-3 का उत्तर, राज्य के किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.) तथा यूरिया की समय से आपूर्ति न होने से सम्बंधित।

(3)

<u>ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15</u> जिसकी सूचना **श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए.** द्वारा दी गई है।	राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों से सम्बंधित।

(4)

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-15 का उत्तर, राज्य में बढ़ते डेंगू के मामलों से सम्बंधित।

2. वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना।

(1)

वित्त मंत्री	2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

3.

2024-2025 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) I

(1)

1.राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।

2. अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 2	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹15,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद्** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 1-2
मांग संख्या 3	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹64,66,01,000/-**से अधिक न हो, **मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन / निर्वाचन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 3-9
मांग संख्या 4	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹279,25,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन / अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कराधान** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 10-13
मांग संख्या 5	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹537,25,00,000/-** तथा **पूंजीगत खर्च के लिए ₹130,00,00,000/-**से अधिक न हो, **मांग संख्या 5- गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/ जेल (कारागार)/ न्याय शासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन/ एजीओटी / कानूनी सेवा प्राधिकरण)** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 14-21
मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹7,56,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 6- वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 22-25
मांग संख्या 7	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **पूंजीगत खर्च के लिए ₹120,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 7- राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 26-28
मांग संख्या 10	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1000,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 10-कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/ पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 29-33
मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹389,84,50,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 11-सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 34-40

मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹460,21,16,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹3,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 12- <u>शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/ उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 41-51
मांग संख्या 13	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹30,35,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹241,14,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या** 13- **<u>खेल / विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व / संग्रहालय / पर्यटन)</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 52-55
मांग संख्या 14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹482,80,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹604,70,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या** 14- **<u>स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 56-69
मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹30,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 15 - <u>श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले)</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 70-71
मांग संख्या 16	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹1121,64,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 16- <u>सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण</u>** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 72-84
मांग संख्या 17	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹660,65,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹22,60,20,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/ परिवहन / नागर विमानन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 85-96
			अनुपूरक अनुमान2024-

मांग संख्या 19	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो **राजस्व खर्च के लिए ₹ 1359,46,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 50,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 19-ऊर्जा विभाग (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 97-104
मांग संख्या 20	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि **जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 314,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 889,00,00,000/-** से अधिक न हो, **मांग संख्या 20- नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/ शहरी स्थानीय निकाय(स्थानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 105-117

4.

<u>सरकारी प्रस्ताव।</u>

(1) **एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि**- "चूंकि, हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023, संगठित अपराध सिंडीकेट या गैंग की आपराधिक गतिविधि के निवारण और नियन्त्रण हेतु तथा उनसे निपटने के लिए और उससे सम्बन्धित मामलों के लिए विशेष उपबन्ध करने हेतु हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2023 का विधेयक संख्या 7-एच.एल.ए. पारित किया गया था;

और चूंकि, उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था;

और चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया;

और चूंकि, हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था।

और चूंकि, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार विधि तथा न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की टिप्पणियां मांगने पर कतिपय त्रुटियां पाई गई थी और गृह मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया और विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के सुझावों को विधिवत् निगमित करने के बाद नया विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया;

और चूंकि, मामले पर विचार-विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय से हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 को वापस करने का अनुरोध किया जाए, चूंकि हरियाणा राज्य, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का ध्यान रखते हुए एक पुनरीक्षित विधेयक भेजने का इरादा रखता है;

और चूंकि, मंत्री परिषद् ने हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्या 7-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, हरियाणा संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2023 को वापस लेने

का संकल्प पारित करती है।"

(2) **एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे**- "चूकिं, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024, हरियाणा राज्य में शव के बुनियादी मानवाधिकारों को बनाए रखने और शव के सम्मानपूर्वक अंतिम निपटान के लिए और उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राज्य विधानमण्डल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या-4 एच.एल.ए. पारित किया गया था;

और चूंकि, उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया;

और चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया;

और चूंकि, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1), को बदलते हुए तीन नए दांडिक कानून अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 47) प्रथम जुलाई, 2024 से लागु किए गए थे। मामले पर विचार- विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए, चूंकि हरियाणा राज्य नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों में दिए गए उपबन्धों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है;

और चूंकि, मंत्री परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमन्त्री, हरियाणा ने हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या 4-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है।"

5. **<u>नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र</u>।**

(1)

एक मंत्री	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखें मेज पर रखेंगे।

(2)

वित मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकायों (यू.एल.बीज़) तथा पंचायती राज संस्थानों(पी.आर आईज़) के लेखों पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

(3)

वित मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा सरकार के स्थानीय शहरी निकायों (यू.एल.बीज़) तथा पंचायती राज संस्थानों(पी.आर आईज़) के लेखों पर स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हरियाणा की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

6. <u>विधायी कार्य</u>।

(1) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii)

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iii)

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iv)

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(v)

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(vi)

हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा सिख गुरूद्वारा (प्रबन्धक) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(vii)

हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(2) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

(ii)

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

(iii)

हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

(iv)

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

(v)

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024	एक मंत्री	हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

डा. सतीश कुमार
सचिव
हरियाणा विधान सभा

Chandigarh-160001
दिनांकः१८ नवम्बर २०२४